

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
सुखान पुत्र काश्यप निवासी करकेरी	वा	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
	म	

राजस्व वाद-पत्र = वाद रिकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 215 / 2021

GCMS No. 2021 / 934

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

25/11/2021

वादी श्री सुखान पुत्र काश्यप जाति निवासी करकेरी द्वारा आज “प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 ” कैम्प ग्राम पंचायत करकेरी में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2075-2076 ग्राम करकेरी पटवार मण्डल करकेरी के खाता नम्बर 59 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि

सुखान पुत्र काश्यप दर्ज है, जो अशुद्ध है।
वादी का शुद्ध नाम सुखान पुत्र काश्यप है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 9536 4418 6424 मतदाता पहचान पत्र R525/186/537122 अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी करकेरी भू.अ.नि. एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)



912-914